41–(08)–93–2019

पटना में दिनांक–06 नवम्बर, 2019 बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

ऊर्जा विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए०टी० एण्ड सी० लॉस से अधिक अनुमानित ए०टी० एण्ड सी० लॉस के कारण राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पॉवर (हो०) कं० लि० के दोनों वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु कुल 860.00 करोड़ (आठ सौ साठ करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश (Equity) के मद में उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

2. प्रसिद्ध समाजवादी जन–नेता एवं पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान सभा स्व० त्रिपुरारि प्रसाद सिंह, की जयंती (प्रत्येक वर्ष 06 अक्टूबर) को राजकीय समारोह के रूप में जमुई में मनाये जाने के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

3. कनीय अभियन्ता (यॉंत्रिक) के नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण संविदा के आधार पर 50 (पचास) कनीय अभियन्ता (यॉंत्रिक) के नियोजन के संबंध में। — 3. **स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

4. कनीय अभियन्ता (असैनिक) के नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण संविदा के आधार पर 150 (एक सौ पचास) कनीय अभियन्ता (असैनिक) के नियोजन के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

5. संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकों (एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के०) को एलोपैथ प्रक्षेत्र के संविदागत चिकित्सकों के समान स्वीकृत मानदेय के उपरांत NHM अन्तर्गत स्वीकृत राशि के अतिरिक्त Top Up Fund की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

6. पटना में प्रगत संगणन विकास केन्द्र (C-DAC) की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से C-DAC, Pune को सहायक अनुदान के रूप में राशि ₹65,55,00,000.00 (पैंसठ करोड़ पचपन लाख) मात्र उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति के लिए 50 आसन के 3(तीन), 100 आसन के 15 (पन्द्रह) एवं 200 असान के 1 (एक) अर्थात कुल–19 छात्रावास भवनों (परिशिष्ट–1) का निर्माण भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा मॉडल अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार 50 आसन वाले प्रति छात्रावास ₹333.12 लाख (तीन करोड़ तैतीस लाख बारह हजार रू०) की दर से 999.36 लाख (नौ करोड़ निनायवे लाख छत्तीस हजार), 100 असान वाले प्रति छात्रावास ₹563.40 लाख (पॉच करोड़ तिरसठ लाख चालीस हजार रू०) की दर से कुल ₹8451.00 लाख (चौरासी करोड़ एकावन लाख रू०) और 200 असान वाले प्रति छात्रावास ₹1019.03 लाख (दस करोड़ उनीस लाख तीन हजार रू०) की दर से अर्थात् कुल ₹10469.39 लाख (एक सौ चार करोड़ उनहत्तर लाख उनचालीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹3140.08 लाख (एकतीस करोड़ चालीस लाख आठ हजार रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ–साथ आगामी वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति। **7. स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

8. शहरी क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए चरणबद्ध तरीके से दिनांक–31.01.2021 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दिनांक–31.03.2021 के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ नगर परिषद, खगौल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो पर प्रतिबंध तथा इन क्षेत्रों में "CNG चालित एवं बैट्री चालित वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019" की स्वीकृति के संबंध में। **8. स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

9. पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ नगर परिषद एवं खगौल नगर परिषद क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसयिक वाहनों के परिचालन पर तत्कालीक प्रभाव से प्रतिबंध की स्वीकृति के संबंध में। **9. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

11. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक– 01/07/2019 के प्रभाव से 295 प्रतिशत के स्थान पर 312 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

12. पष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

13. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में पेंशन आवेदनों की जॉच एवं पेंशन भुगतान की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम्य बनाने हेतु आधार कार्ड, EPIC Card एवं पी०एफ०एम०एस० प्रक्रिया के द्वारा निदेशालय स्तर (राज्य स्तर) से ही आवेदनों को स्वीकृत कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किये जाने एवं इसके आलोक में 31 अगस्त 2019 तक प्राप्त सभी योग्य आवेदनों की स्वीकृति 01 अप्रैल 2019 से दिये जाने एवं उनका पेंशन भुगतान भी माह अप्रैल 2019 से किये जाने तथा 31 अगस्त 2019 के पश्चात, प्रत्येक माह 1–15 तारीख तक प्राप्त योग्य आवेदन के लिए पूरे माह का पेंशन भुगतान देय करने एवं 15 तारीख से बाद प्राप्त योग्य आवेदन पर पेंशन का भुगतान अगले माह से देय करने की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ की जिन आवेदकों का आधार या EPIC कार्ड न बना हो उनका यह कार्ड अभियान चलाकर बनवाया जाएगा ताकि इसके आभाव में वे पेंशन से बंचित न हों। — **13. स्वीकृत।**